न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2016 / 00316 / 225

1. रामदेव पुत्र बन्ना, जाति रेगर, निवासी ग्राम मेहरूखुर्द, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बीरमा पुत्र कजोड़ रेगर,
2. बाली पत्नि रामदेव रेगर,
3. कमली पुत्री रामदेव रेगर,
4. यादराम पुत्र रामदेव रेगर,
5. सत्या पत्नि हरिओम पुत्र रामदेव रेगर,
6. शैतान पुत्र हरिओम नाबालिग जरिये सरंक्षक वली माता सत्या पत्नि हरिओम रेगर,
7. रिंकू पुत्री हरिओम नाबाबलिग जरिये सरक्षंक वली माता सत्या पत्नि हरिओम रेगर,
   समस्त निवासी मेहरू खुर्द, तह0 सावर, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सावर, जिला अजमेर ।
9. हजारी पुत्र बन्ना जाति रेगर, नि0 मेहरू खुर्द, तह0 सावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 5.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 109 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री हगामी लाल चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांकः— 18.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 5.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मेहरूखुर्द, तहसील केकड़ी हाल तहसील सावर की जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 के खसरा नंबर 89 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी स्थित है जिसके नये खसरा नंबर 147, 148 व 149 क्रमशः रकबा 0.22, 0.30 है0 एवं 0.07 है0 बने है। उक्त वर्णित आराजियात पुराने खसरा नंबर 89 प्रार्थी व प्रर्फोमा अप्रार्थी हजारी की खातेदारी कब्जे स्वामित्व की आराजी है जिस पर

प्रार्थी व प्रफोमा अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त वर्णित आराजियात में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है किन्तु भू–संशोधन के समय भू–प्रबंध विभाग ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना अधिकार के उक्त आराजियात को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया जो गलत एवं अवैध है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है । करीब 6 माह पहले प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी हजारी अपनी उक्त कब्जे स्वामित्व की आराजियात में काश्त करने गये तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न की तथा धमकी दी कि आराजी अब हमारे नाम दर्ज हो गयी है इसलिये अब हम जबरन कब्जा काश्त करेगें । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 5.7.2016 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अपीलांट साबिक खसरा नंबर 89 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चला आ रहा है जो राजस्व अभिलेख खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1359, संवत् 2021 से 2024, 2025 से 2028 के इंद्राजों से साबित था किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा भू–संशोधन कार्यवाही के दौरान अपीलांट की खातेदारी आराजी को बिना किसी आधार के रेस्पो0 के नाम हाल नवीन खसरा नंबर 147, 148 व 149 कायम करते हुए रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज कर दिये जिसका भू–प्रबधं विभाग को कोई अधिकार नहीं था । अपीलांट ने उक्त गलत इंद्राज की दुरूस्ती हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसके निर्णय तक वादग्रस्त आराजियात की सुरक्षा हेतु रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायोचित था किन्तु अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अपीलांट एवं उनके पूर्वजों द्वारा विवादित आराजी का बेचान रेस्पो0 को नहीं किया गया फिर भी बिना किसी हक व अधिकार के अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी आराजी भू–प्रबंध विभाग ने रेस्पो0 के नाम दर्ज करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त गलत इंद्राज के आधार पर विवादित भूमि को रेस्पो0 संख्या 2 से 7 के पति/पिता रामदेव रेगर को बेचान कर दी । उक्त बेचान अवैध एवं शून्य होकर अपीलांट के हकों के प्रति बेअसर है। अधी0न्याया0 ने धारा 212 के मुख्य घटक यथा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादवर्णित आराजियात के नये खसरा नंबर 147 रकबा 0.22 है0 का संपूर्ण हिस्सा एवं आराजी नये खसरा नंबर 149 रकबा 0.07 है0 में 1/2 हिस्सा है जिसे प्रतिवादी

संख्या 2 ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 18.9.2012 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 399 दिनांक 4.10.2012 को प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 के नाम स्वीकृत किया जा चुका है तथा राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 के नाम खातेदारी से दर्ज होकर रेस्पोडेंट संख्या 2 विवादित आरायिजात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त न होकर रेस्पो0 का कब्जा काश्त है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । विवादित आराजी खसरा नंबर 147 रकबा 0.22 है0का संपूर्ण भाग तथा खसरा नंबर 149 रकबा 0.07 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पो0 संख्या 2 ने खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.9.2012 को क्रय की है । उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 399 दिनांक 4.10.2012 को रेस्पो0 संख्या 2 के नाम स्वीकृत होकर रेस्पो0 संख्या 2 खसरा नंबर 1478 संपूर्ण व 149 रकबा 0.07 है0 में से 1/2 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा काबिज काश्त है । इसी प्रकार खसरा नंबर 148 रकबा 0.30 है0 व खसरा नंबर 0.07 है0 का 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खातेदारी से दर्ज होकर काबिज काश्त है । पक्षकारान के मध्य वाद अधी0न्याया0 में विचाराधीन है । अपीलांट को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सब तथ्यों का निस्तारण बाद साक्ष्य वाद में किया जावेगा किन्तु वर्तमान में रेस्पोडेंटस विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार दर्ज है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.7.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर